झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–176 / 2019

बिंदू देवी, उम्र लगभग 48 वर्ष, अरविंद कुमार की पत्नी, सा0– दिवाकर नगर, बालूमाथ, डाकघर–बालूमाथ, थाना–बालूमाथ, जिला–लातेहार .....

...याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखंड राज्य, द्वारा प्रधान सचिव, राजस्व और भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार, रांची
2. उपायुक्त, पलामू
3. अनुमंडल अधिकारी, पलामू
4. अंचल अधिकारी, सदर मेदिनीनगर, जिला–पलामू
5. अंचल अमीन, सदर मेदिनीनगर, जिला–पालमू .....उत्तरदातागण

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद**

याचिकाकर्त्ता के लिए : श्री ऋषि पल्लव, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए : जी0ए0–III के ए0सी0

02 / 02.04.2019 याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता त्रुटियों, जैसा कि 01.04.2019 के कार्यालय नोट में बताया गया है, को दिवस काल के दौरान दूर करने का अभिवचन करते हैं।

यह सिविल विविध याचिका डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–5909 / 2018 में दिनांक 10.01. 2019 को पारित आदेश में आवश्यक सुधार के लिए दायर की गई है, जिसमें टाइपोग्राफिकल त्रुटि के कारण, डिमार्केशन केस के संदर्भ को गलत तीरके से, डिमार्केशन वाद सं0–5 / 2018–19 के बदले डिमार्केशन वाद सं0–27 / 2015–16 टाइप किया गया है।

याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कंडिका 1 के साथ–साथ रिट याचिका के प्रार्थना भाग की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए, मामले के इस पहलू को बताया और

अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि 'डिमार्केशन वाद सं0–5/2018–19 का निष्पादन के लिए प्रार्थना रिट याचिका का विषय है, लेकिन डिमार्केशन मामले के संदर्भ के स्थान पर टाइपोग्राफिकल त्रुटि के कारण, इसे गलती से '5/2018–19' के स्थान पर '27/2015–16' के रूप में टाइप किया गया है।

राज्य–उत्तरदाता के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने स्पष्ट रूप से निवेदन किया है कि उचित आदेश पारित किया जा सकता है।

पार्टियों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुनने और रिट याचिका में किए गए निवेदनों को देखने के बाद डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–5909/2018 में पारित दिनांक 10.01.2019 के आदेश में टाइपोग्राफिकल त्रुटि को इस हद तक संशोधित किया गया है कि जिसमें, 'डिमार्केशन केस नंबर '27/2015–16' का संदर्भ 'डिमार्केशन केस नंबर '5/2018–19' के रूप में पढ़ा जाएगा।

इसके मद्देनजर, डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–5909/2018 में पारित दिनांक 10.01.2019 के आदेश को उपर बताए गए हद तक संशोधित किया गया है।

तद्नुसार, इस सी0एम0पी0 का निष्पादन किया जाता है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्याया0)